



भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे)
कार्मक ,लोक शकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मक तथा प्र शक्षण वभाग
निज़ाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन(8वां तल),234/4,एजेसी बोस
रोड ,कोल-700020
(वेबसाइट:www.sscer.org)



सूचना
वज्ञापन संख्या ईआर-01/2017

म सल संख्या: 11/1/2017-भर्ती

अंतिम ति थ: 07 जून,2017

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

इस विज्ञप्ति के पैरा 4 में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञप्ति के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कर लिया गया है । आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में है-(i) पंजीकरण भाग और (ii) आवेदन भाग ।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/जाति/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं । वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रूक किया जा सकता है । आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः **अनंतिम** होगी ।

3. आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल हैं, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग पूर्वी क्षेत्र की वेबसाइट अर्थात् <http://www.sscer.org> पर उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा ।

4. पद का ववरण:

(i)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-10117 (पुनः वज्ञा पत) <table border="1"> <tr> <td>(क) पद का नाम:</td><td>अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी)</td></tr> <tr> <td>(ख) वर्गीकरण:</td><td>सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी',अराजपत्रित, अननुस चवीय</td></tr> <tr> <td>(ग) रिक्ति:</td><td>02 (02-अनुसू चत जाति)</td></tr> <tr> <td>(घ) वभाग:</td><td>पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</td></tr> <tr> <td>(ङ) उम्र:</td><td>18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)</td></tr> <tr> <td>(च) वेतनमान:</td><td>₹ 9300/- - ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन-₹ 4200(पीबी-2)(6ठे वेतन आयोग के अनुसार)</td></tr> <tr> <td>(छ) अनिवार्य योग्यता:</td><td> i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय/ संस्थान से सांख्यिकी या अनुसंधान कार्यो अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वा णज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा ग णत शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृ ष वज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डप्लोमा । ii) वानिकी कार्य अथवा कृ ष वज्ञान पर डाटा सहित डाटा के संग्रहण अथवा समेकन अथवा वश्लेषण का 01 वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्य र्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार वहाँ उनके लए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके श थल की जा सकती है। टिप्पणी 2- अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के अभ्य र्थियों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य र्थियों के अभ्य र्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने क संभावना नहीं है। </td></tr> <tr> <td>(ज) वांछनीय योग्यता:</td><td>शून्य</td></tr> <tr> <td>(झ) प्रारं भक पदस्थापन:</td><td>अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली, लखनऊ, भूबनेश्वर, रांची</td></tr> <tr> <td>(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ</td><td> 1. कृ ष /वानिकी डाटा का एकत्रण/समेकन/ वश्लेषण। 2. व भन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच और संवीक्षा । 3. मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और वश्लेषण । 4. व भन्न परियोजनाओं संबंधी त्रैमा सक/वा र्षक रेपोर्टों क जांच और संवीक्षा। 5. व भन्न स्कीमों के अंतर्गत नि धियों का निगमन । 6. व भन्न परियोजनाओं की मोनितरिंग और मूल्यांकन। 7. व भन्न रेपोर्टों/रिटर्न/संसदीय प्रश्नों के लए सामग्री की प्रस्तुति और वरिष्ठ अ धकारियों का दौरा। 8. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यो का प्रबंधन और मोनितरिंग। 9. वन संरक्षण अ धनियम/पर्यावरण संरक्षण अ धनियम के संबंध में राज्यों/संघ शा सत क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कारवाई करना। 10. प्र शक्षण परियोजना और द् वपक्षी और बहुमुखी अनुसंधान के परक्रामण, कार्यान्वयन और नियंत्रण। 11. आईएफएस अ धकारियों के प्र शक्षण कार्यक्रम का समन्वयन। </td></tr> </table>	(क) पद का नाम:	अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी)	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी',अराजपत्रित, अननुस चवीय	(ग) रिक्ति:	02 (02-अनुसू चत जाति)	(घ) वभाग:	पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- - ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन-₹ 4200(पीबी-2)(6ठे वेतन आयोग के अनुसार)	(छ) अनिवार्य योग्यता:	i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय/ संस्थान से सांख्यिकी या अनुसंधान कार्यो अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वा णज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा ग णत शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृ ष वज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डप्लोमा । ii) वानिकी कार्य अथवा कृ ष वज्ञान पर डाटा सहित डाटा के संग्रहण अथवा समेकन अथवा वश्लेषण का 01 वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्य र्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार वहाँ उनके लए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके श थल की जा सकती है। टिप्पणी 2- अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के अभ्य र्थियों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य र्थियों के अभ्य र्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने क संभावना नहीं है।	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली, लखनऊ, भूबनेश्वर, रांची	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	1. कृ ष /वानिकी डाटा का एकत्रण/समेकन/ वश्लेषण। 2. व भन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच और संवीक्षा । 3. मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और वश्लेषण । 4. व भन्न परियोजनाओं संबंधी त्रैमा सक/वा र्षक रेपोर्टों क जांच और संवीक्षा। 5. व भन्न स्कीमों के अंतर्गत नि धियों का निगमन । 6. व भन्न परियोजनाओं की मोनितरिंग और मूल्यांकन। 7. व भन्न रेपोर्टों/रिटर्न/संसदीय प्रश्नों के लए सामग्री की प्रस्तुति और वरिष्ठ अ धकारियों का दौरा। 8. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यो का प्रबंधन और मोनितरिंग। 9. वन संरक्षण अ धनियम/पर्यावरण संरक्षण अ धनियम के संबंध में राज्यों/संघ शा सत क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कारवाई करना। 10. प्र शक्षण परियोजना और द् वपक्षी और बहुमुखी अनुसंधान के परक्रामण, कार्यान्वयन और नियंत्रण। 11. आईएफएस अ धकारियों के प्र शक्षण कार्यक्रम का समन्वयन।
(क) पद का नाम:	अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी)																				
(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी',अराजपत्रित, अननुस चवीय																				
(ग) रिक्ति:	02 (02-अनुसू चत जाति)																				
(घ) वभाग:	पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय																				
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)																				
(च) वेतनमान:	₹ 9300/- - ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन-₹ 4200(पीबी-2)(6ठे वेतन आयोग के अनुसार)																				
(छ) अनिवार्य योग्यता:	i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय/ संस्थान से सांख्यिकी या अनुसंधान कार्यो अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वा णज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा ग णत शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृ ष वज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डप्लोमा । ii) वानिकी कार्य अथवा कृ ष वज्ञान पर डाटा सहित डाटा के संग्रहण अथवा समेकन अथवा वश्लेषण का 01 वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्य र्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार वहाँ उनके लए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके श थल की जा सकती है। टिप्पणी 2- अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के अभ्य र्थियों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य र्थियों के अभ्य र्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने क संभावना नहीं है।																				
(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य																				
(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली, लखनऊ, भूबनेश्वर, रांची																				
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	1. कृ ष /वानिकी डाटा का एकत्रण/समेकन/ वश्लेषण। 2. व भन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच और संवीक्षा । 3. मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और वश्लेषण । 4. व भन्न परियोजनाओं संबंधी त्रैमा सक/वा र्षक रेपोर्टों क जांच और संवीक्षा। 5. व भन्न स्कीमों के अंतर्गत नि धियों का निगमन । 6. व भन्न परियोजनाओं की मोनितरिंग और मूल्यांकन। 7. व भन्न रेपोर्टों/रिटर्न/संसदीय प्रश्नों के लए सामग्री की प्रस्तुति और वरिष्ठ अ धकारियों का दौरा। 8. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यो का प्रबंधन और मोनितरिंग। 9. वन संरक्षण अ धनियम/पर्यावरण संरक्षण अ धनियम के संबंध में राज्यों/संघ शा सत क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कारवाई करना। 10. प्र शक्षण परियोजना और द् वपक्षी और बहुमुखी अनुसंधान के परक्रामण, कार्यान्वयन और नियंत्रण। 11. आईएफएस अ धकारियों के प्र शक्षण कार्यक्रम का समन्वयन।																				

	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.बां एवं ए.पै), श्रवण दिव्यांग(ब एवं आं ब) और दृष्टि दिव्यांग (अं एवं अ.दृ) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(ii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10217 (पुनः वज्ञा पत) (क) पद का नाम: वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (ख) वर्गीकरण: सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी', अराजपत्रित, अननुस चवीय (ग) रिक्ति: 01 (01-अ. प.व) (घ) वभाग: केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला, कोलकाता (ङ) उम्र: 18-30 वर्ष (आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है) (च) वेतनमान: ₹ 9300/-- ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-02)(छठे वेतन आयोग अनुसार) (छ) अनिवार्य योग्यता: कसी भी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से जीवाणु वज्ञान या सूक्ष्म जीव वज्ञान या जैव रसायन वज्ञान या औषध निर्माण वज्ञान या शरीर वज्ञान या रसायन वज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य. टिप्पणी- अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार की जा सकती है। (ज) वांछनीय योग्यता: शून्य (झ) प्रारं भक पदस्थापन: अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता (ञ) कार्य की अपेक्षाएँ 1- व भन्न जटिल औषधियों का वश्लेषण. 2- व भन्न औषधियों के मानक सन्दर्भों का मानकीकरण करना. 3-औषधियों का वश्लेषण से सम्बं धत शोध कार्य करना. 4-जब आवश्यक हो, वभागीय अध्यक्ष की मदद करना. (ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.पै) और श्रवण दिव्यांग (आं.ब) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(iii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10317 (पुनः वज्ञा पत) (क) पद का नाम: वरिष्ठ रे डयो तकनी शयन (ख) वर्गीकरण: सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी', अराजपत्रित, अननुस चवीय (ग) रिक्ति: 01 (01-अनुसू चत जनजाति) (घ) वभाग: दीपस्तंभ और दीपपोत वभाग, पोत परिवहन मंत्रालय, कोलकाता (ङ) उम्र: 18-30 वर्ष (आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है) (च) वेतनमान: ₹ 9300/-- ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन ₹ 4200/-(पीबी-02)(छठे वेतन आयोग अनुसार)	

(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से इलैक्ट्रानिकी या वद्युत संचार इंजीनियरिंग में डग्री या समतुल्य । या (i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से इलैक्ट्रानिकी या वद्युत संचार या रे डयो इंजीनियरी में डप्लोमा या समतुल्य, (ii) बेतार प्रे षतों, प्रापकों और एरियल तंत्रों जैसे उपस्कर के संस्थापन/ वद्युत/ बेतार के अनुरक्षण का तीन वर्ष का अनुभव ।
टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्या र्थ्यों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार श थल की जा सकती है । टिप्पण 2. अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के अभ्य र्थ्यों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य र्थ्यों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	
(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	डी जी पी एस स्टेशन के कार्यों का निष्पादन और अनुरक्षण करना।
(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.बां एवं ए.पै) एवं श्रवण दिव्यांग (ब एवं आं.ब) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(iv)	
पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10417 (पुनः वज्ञा पत)	
(क) पद का नाम:	दौत्य कला सहायक
(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
(ग) रिक्ति:	01 (01-अना- ओ.एच)
(घ) वभाग:	रक्षा मंत्रालय, संयुक्त स चव का कार्यालय(प्र शक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अ धकारी का कार्यालय, नई दिल्ली।
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है।)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4200/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
(छ) अनिवार्य योग्यता:	(क) (i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से इतिहास में मास्टर डग्री या समतुल्य; और (ii) डग्री स्तर में एक अनिवार्य या वैकल्पिक वषय के रूप में संस्कृत; या (i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से संस्कृत में मास्टर डग्री या समतुल्य; और (ii) डग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक वषय के रूप में इतिहास (ख) प्राचीन इतिहास से संबन्धित तीन वर्ष का अनुसंधान का अनुभव ।

	टिप्पण 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधकारी के ववेकानुसार शथल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधकारी के ववेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शथल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधकारी की यह राय है क उनके लए आरक्षत रिक्तियों को भरने के लए अपेक्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
	(झ) प्रारंभक पदस्थापन:	अखल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली/दिल्ली।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	सहायक निदेशक(हेराल्डी) के कामों में मदद करना। देश में वंशावली चन्हीं से संबन्धित कलाशास्त्र के इतिहास, संस्कृति और पौराणिक शास्त्रों का अनुसंधान करना।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद अस्थि दिव्यांग(ए.पै/ए.बां) और श्रवण दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(v)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10517	
	(क) पद का नाम:	फार्म प्रबन्धक
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा, गुप बी, अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	04 (04-अ. प.व)
	(घ) वभाग:	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संघठन(पूर्वी क्षेत्र) कृष एवं कुषक कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन वभाग, नयापल्ली, भबनेश्वर -751012
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु सीमा में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन ₹ 4200/-(पीबी)(6ठा वेतन आयोग अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी भी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से पशु च कत्सा वज्ञान और पशु पालन में स्नातक की डग्री
	(ज) वांछनीय योग्यता:	कुक्कुट पालन में काम करने का 2 वर्षों का कार्यकरण अनुभव
	(झ) प्रारंभक पदस्थापन:	अखल भारतीय सेवा दायित्व के साथ भूबनेश्वर।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	फार्म की परिचालना, टिकाकरण, ड व कंग, वंग वाइंडंग, ट्राप्नेस्टिंग, हैचरी परिचालना, अंडा एवं फार्म उत्पादों की बिक्री, फार्म एवं भंडार की सभी चीजों का रेकॉर्ड रखना।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

	गया है।]	
(vi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10617	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (मैकानिकल)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	03 (02-अना, 01-अ.ज.जा)
	(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/-- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री ; अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से मेकैनिकल इंजिनियरिंग या धातु वज्ञान में इंजिनियरिंग स्नातक या प्रौद्यो गकी डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी मेकैनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।
	टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(vii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10717	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रिकल)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	04 (02-अना, 01-अ. प.व, 01-अ.जा)

(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वशव वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वशव वद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजिनियरिंग में इंजिनियरी बैचलर या प्रौद्यो गकी बैचलर।
(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का दो वर्ष का अनुभव।
टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।	
टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	
(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/ मुंबई/ चेन्नई/ गाज़ियाबाद/ गुवाहाटी/जयपुर।
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(viii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10817
(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (एनडीटी) (गैर वध्वंशक)
(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
(ग) रिक्ति:	01 (01-अना)
(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)

	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग या मैकेनिकल इंजिनियरी या धातु वज्ञान में इंजिनियरी स्नातक या प्रौद्यो गकी स्नातक ।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कसी गैर-वध्वसंक परीक्षण प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।
	टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबंध धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/ मुंबई/ चेन्नई/ गाज़ियाबाद/ गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शा.दि .उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(ix)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10917	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (रसायन)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति:	09 (02-अना, 05-अ. प.व, 02-अ.जा)
	(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/-₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से रसायन शास्त्र अथवा सूक्ष्म जै वकी में मास्टर डग्री अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से रसायन प्रौद्यो गकी अथवा के मकल इंजिनियरी में इंजिनियरी डग्री या प्रौद्यो गकी डग्री

(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की वश्लेषणकर्ता अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।
टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	
(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाजियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
(ट) शा.दि .उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद अस्थि दिव्यांग (एक पाँव) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(x) पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11017	
(क) पद का नाम:	हस्त शल्प संवर्धन अ धकारी
(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित, अननुस चवीय
(ग) रिक्ति:	09 (05-अना, 02- अ. प.व, 02- अ.जा)
(घ) वभाग:	कार्यालय वकास आयुक्त (हस्त शल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/-₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4200/-(पीबी-2) (6 ठा वेतन आयोग के अनुसार)
(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से चार वर्षों की अव ध का डज़ाइन या ल लत कला (फैशन या वस्त्र या वस्त्र उत्पादन) में स्नातक ड़्गी जिसमे हस्त शल्प या कुटीर या लघु स्तर उद्योग के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव हो या कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या बोर्ड या संस्थान से तीन वर्षों की अव ध का ल लत कला (फैशन या वस्त्र या वस्त्र ड़्जाइन) में ड़्प्लोमा के साथ हस्त शल्प या कुटीर या लघु स्तर उद्योग के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव ।
(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य

	टिप्पणी 1: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधकारी के ववेकानुसार, लखत में रेकॉर्ड कए गए कारणो के लए अ धक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, अर्हता के संबंध में छूट है। टिप्पणी 2: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधकारी के ववेकानुसार लखत में रेकॉर्ड कए गए कारणो के लए, अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट है यदि, चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधकारी का यह मत हो सकता है कि वांछित अनुभव के साथ पर्याप्त अभ्यर्थियों की संख्या उनके लए आरक्षित पदों को भरे जाने हेतु उपलब्ध नहीं है।	
	(झ) प्रारंभिक पदस्थापन:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ बुरद्वान(प.ब), सलीगुडी(प.ब), सम्बलपुर(उडीसा), भूबनेश्वर(उडीसा), रांची(झारखंड)
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	हस्त शिल्प के विकास तथा प्राथमिक आकड़ों को संकलित करने से संबंधित फील्ड कार्य। हस्त शिल्प के विकास के लए वित्तीय सहायता हेतु योजनाओं को बनाने का काम।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11117	
	(क) पद का नाम:	उप रेंजर
	(ख) वर्गीकरण:	समूह "ग" गैर-तकनीकी, अराजपत्रित, अननुसूचित, गैर तकनीकी
	(ग) रिक्ति:	09 (04-अनारक्षित, 03-अ.प.व, 01-अ.जा, 01-अ.ज.जा)
	(घ) विभाग:	भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन एवं वन्य जीव विभाग, कोलकाता।
	(ङ) उम्र:	18-27 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 5200/- ₹ 20200/- ग्रेड वेतन- ₹ 2400/- (पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	(i) कसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय से बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य ; (ii) वन सर्वेक्षण या कार्य योजना संगठन या राज्य वन विभाग में वन संसाधन सर्वेक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	वन सर्वेक्षण या मानचित्र के कार्य में या कार्यकरण योजना संबंधी कार्य में अनुभव।
	(झ) प्रारंभिक पदस्थापन:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	जी. पी. एस. प्रचालन तथा अन्य प्रचालन यंत्रों की कॉम्पा संग्रह करना तथा वन / वाह्य वन वृक्ष (ग्रामीण तथा शहरी) इन्वेंटरी कार्यों के व भन्न आँकड़ा संचयन का अनुवीक्षण करना।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश:	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

	[स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	
(xii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11217 (पुनः वज्ञा पत)	
	(क) पद का नाम:	कनिष्ठ अ भयंता(क्वा लटी आश्वासन)
	शास्त्र :	धातु वज्ञान और म लट्टी वस्फोटक
	उप-शास्त्र :	धातु वज्ञान
	(ख) वर्गीकरण:	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	01(अना- एचएच)
	(घ) वभाग:	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	9300/-34800/- , ग्रेड वेतन-4200/- (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	(i) वज्ञान में स्नातक व स्नातक स्तर पर वज्ञान सहित भौतिक, रसायन वज्ञान या मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या राज्य तकनीकी शक्षा बोर्ड से मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डप्लोमा।
		(ii) मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से गुणता आश्वासन/उत्पादन/ वकास/प्रयोगशाला के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ मेडक(तेलेंगाना), दिल्ली, अंबाझरी(एमएस),कटनी(एमपी),राउरकेला(ओ डशा),त्रिची(टीएन), मुरादनगर(यूपी),कानपुर(यूपी),इच्छापुर(डबल्यूबी),कोलकाता(डबल्यूबी)
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ :	1. सेम्पलों का उपयुक्त पंजीकरण। रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित गति व धर्यों में जेटीओ की सहायता करना। 2. सेम्पल का परीक्षण करना और निर्धारित समय में इसे तैयार करना। 3. आँकड़ा शीट तैयार करना,वरिष्ठ का र्मकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपस्कर का संचालन करना। 4. प्रयोगशाला एवं कार्यशाला में उपस्करों,मशीनों का रख-रखाव करना।
	(ट) शा.दि .उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.बां एवं ए.पै) और श्रवण दिव्यांग (ब एवं आं ब) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।

टिप्पणी-I : इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-II : वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए। वे प्रत्येक पद के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी को भी, नीचे पैरा 8 में यथा-उल्लिखित क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत करें।

5. **प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :**

क.च.आ.: कर्मचारी चयन आयोग, मं: मंत्रालय, वि: विभाग, का: कार्यालय, आयु: आयु-सीमा, अ.यो.: अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै.: प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा. : अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ.: कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, सा: सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दि. : दृष्टि दिव्यांग, ए.बां: एक बांह प्रभावित, ए.पै.: एक पैर प्रभावित, दो.पै.: दोनो पैर प्रभावित, आं.ब.: आंशिक बधिर, अ.दृ.: अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारी ल.न.: लागू नहीं, अ.से.आ: अन्य सेवारत आवेदक।

6. **राष्ट्रीयता/नागरिकता:**

अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 बशर्ते कि ऊपरीक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने के बाद ही उसे दिया जाएगा।

7. **परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका।**

क. परीक्षा शुल्क

"भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग/सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से 100 रु. (मात्र सौ रूपए)

किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा। आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए।

ख. शुल्क के भुगतान से छूट

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।

8. ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

ii) अभ्यर्थी नोट करें कि केवल <http://ssconline.nic.in> पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें। किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iv) ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-1(क) में दी गई है।

v) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर उसी फोटोग्राफ की प्रति चिपकानी चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन प्रपत्र को भरते समय किया गया था और इसके साथ आयु, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, जहां इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी(अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसे- उसी प्रारूप में जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया है) के समर्थन में प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें और उसे नीचे उल्लिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज दें ताकि यह निर्धारित अंतिम तिथि से दस दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय पहुँच जाए।

क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.),

कर्मचारी चयन आयोग

पूर्वी क्षेत्र

निजाम पैलेस, प्रथम एम.एस.ओ. भवन (8वां तल)

234/4, ए जे सी बोस रोड,

कोलकाता- 700020

vi) कंप्यूटर आधारित मोड परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरुद्ध किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है।

vii) महत्वपूर्ण : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा।

9. ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि 07.06.2017 (5.00 बजे अपराह्न) है। ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 07.06.2017 (5.00 बजे अपराह्न) है।

10. अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

- (i) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा का इस विज्ञप्ति के पैरा-4 में उल्लेख किया गया है।
- (ii) आयु और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि इस आवेदन अर्थात् 07.06.2017 के पंजीकरण भाग/आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि होगी।
- (iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव, जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सहित अनिवार्य योग्यता है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं।
- (iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vi) ऐसे पद(पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।

टिप्पणी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए। तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :

आयु-सीमा का पैरा-4 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है।

(क) आयु का प्रमाण

आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में छूट:

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

ऊपरी आयु-सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 में उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12.1 में श्रेणी कोड को भी सही तरीके से भरते हैं।

‘श्रेणी कोड’, ‘श्रेणी’ तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 10 में यथा-उल्लिखित ‘ऊपरी आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट’ नीचे दी गई है :-

गणना की तिथि को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड : कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
समूह ‘ख’ एवं समूह ‘ग’ पदों के लिए		
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	शा.दि.	10 वर्ष
05	शा.दि.(अपिव)	13 वर्ष
06	शा.दि.(अजा)	15 वर्ष
07	शा.दि.(अजजा)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)

10	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
समूह 'ख' पदों के लिए		
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए		
16	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
18	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए		
20	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (सामान्य/अनारक्षित)।	05 वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)।	08 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा)।	10 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजजा)।	10 वर्ष
समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए		
24	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित/सामान्य)	35 वर्ष की आयु तक
25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा)	40 वर्ष की आयु तक
27	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

28	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (सामान्य/अनारक्षित)	5वर्ष
29	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अपिव)	8वर्ष (5+3) वर्ष
30	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अजा)	10 वर्ष(5+5) वर्ष
31	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अजजा)	10 वर्ष(5+5) वर्ष
32	अन्य	भारत सरकार के समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार ।

टिप्पणी 1: आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है । आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, वे आयु में छूट के हकदार नहीं हैं ।

टिप्पणी 2: अभ्यर्थी ऊपरी आयु सीमा में छूट लेने के लिए अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करेंगे। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें, अपने लिए यथा-प्रयोज्य सही आयु छूट कोड भरने की आवश्यकता होगी । आवेदन प्रपत्र में आवेदक द्वारा गलत आयु छूट कोड भरने की स्थिति में, आवेदन के स्तर पर प्रदान की गई आयु छूट वापस ले ली जाएगी तथा आवेदन किए गए किसी विशेष पद के लिए निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत न आने के कारण, उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

12. **शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें**
- क. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए**
 - i. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी उप जातियां/समुदाय, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- ख. **अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए**
 - i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।।) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा । **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है ।** इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी । अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/

अजजा/ अपिव/भूपूसै/शा.दि.(शा.दि.व्यक्ति) दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है ।

ii. इस विज्ञप्ति के पैरा 9 में यथा-उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा ।

ग. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग) आवेदकों के लिए :

क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है अथवा नहीं तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है । शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं ।

- i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं ।
- ii. उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप [परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)/(प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV]] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

घ. शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश ।

क. चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा । एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे । ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो ।** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.दि. अभ्यर्थियों के समुतल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जाएगी । प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैया नहीं कराए जाएंगे । दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते हैं । परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी **परिचर** को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) **अतिरिक्त समय का प्रावधान :** दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णयानुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

ड. भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश ।

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- V(क)] के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) आरक्षण इत्यादि, के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसे का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

(च) भूतपूर्व सैनिक : भूपूसे से आशय उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
 - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
 - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की सेवा** की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूँस, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-8 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.ज्ञा.संख्या 36034/6/90-स्था.एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे । वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे । ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है । तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र देना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है ।

(iii) सेवा लिपिक, जो अपनी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में हैं, वे शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र नहीं हैं ।

(ज) केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

(i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में जब तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है ।

(ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी पद के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- IV (क)) कि उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित कर दिया है तथा साथ ही वे दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने

नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग द्वारा उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

13. दस्तावेजों का सत्यापन

- क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तांकों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण[अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै-विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, अपने आवेदनों के प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है।
- ख. वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/ अपिव/ शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/ अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/ दस्तावेज/ अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है।

14. आवेदन-पत्र को अस्वीकार/निरस्त करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/अस्वीकार की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर,(आवेदन-प्रपत्र के प्रिंट आउट और अन्य दस्तावेजों में किए गए सभी हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ और स्पष्ट फोटोग्राफ न होने की स्थिति में,
- iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में , यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर
- vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,
- vii. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियों का अग्रेषण न करने पर,
- viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्थिति न होने की स्थिति में,
- ix. विषयगत तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना
- x. संगत दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना

- xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,
- xii. कोई अन्य अनियमितता बरतना ।
- xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना ।

टिप्पणी : । अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य सम्प्रेषण यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध चलाए जाने वाली अपराधिक कार्रवाई पर पूर्वाग्रह रखे बगैर उसे कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी : ।। अभ्यर्थी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा कोई अन्य वस्तु जैसे पुस्तकें, नोटशीट, खुली शीट, मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजेट आदि को परीक्षा हाल में न लाएं ।

15. चयन प्रक्रियाएं :-

- क. सरकार द्वारा जूनियर स्तर के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को हटा लिया गया है । तदनुसार, चयन पदों की भर्ती कंप्यूटरीकृत आधारित वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रश्न वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी ।
- ख. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सूची-बद्ध चयनित किया जाएगा । **अभ्यर्थियों को 1:50 के अनुपात में चयनित किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक रिक्ति के लिए,** पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के आधार पर, **50 अभ्यर्थी होंगे** । अभ्यर्थियों को पांच के गुणकों में अंकों की प्रतिशत में उपयुक्त कट-ऑफ बनाते हुए शार्टलिस्ट किया जाएगा । पांच के गुणकों में, कट-ऑफ प्रयोग करने के मानदण्ड से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है ।
- ग. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का सूची बद्ध चयन करने के प्रयोजन से, आयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंड का पालन करेगा और अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत को आकलन में लेगा । आयोग, अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों/ग्रजुएशन के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों को जमा करके अंकों के प्रतिशत को आकलन करने की जिम्मेवारी नहीं लेगा, इसके बजाए अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए को आकलन में लेगा ।
- घ. जहां पर अंकों के संगत प्रतिशत को दर्शाए बिना, अभ्यर्थी की मेरिट सीजीपीए में अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शायी गई हैं तो आयोग, यदि किसी भी संगत प्रतिशत का आकलन करना हो, प्रमाण-पत्र में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दर्शाए मानदंड का अनुकरण करेगा । अन्य सभी मामलों में आयोग(x)9.5 से गुणा करके सीजीपीए(जैसा कि अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाया गया है) के परिवर्तन(कनवर्जन) सूत्र का प्रयोग करेगा ।
- ङ. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को शार्टलिस्टिंग करने के लिए अपनाया गया मानदंड अंतिम होगा । इस प्रकार के शार्टलिस्टिंग के मानदंड के विरुद्ध कोई भी अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- च. अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई सूचना को आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि यह

पाया जाता है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना गलत है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता की ऐसी निरस्तीकरण के बारे में किसी भी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

16. परीक्षा की प्रणाली

ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकलूशन, उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक तथा ऊपरी स्तर तक की है, के लिए अलग से वस्तुनिष्ठ/बहु-विकल्प प्रश्नों वाले कंप्यूटर आधारित मोड में परीक्षा होगी। प्रश्नों के विषय, विषय-वार प्रश्नों के अंक तथा संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

विषय	प्रश्नों की संख्या	अतिरिक्त अंक	कुल अवधि/समय
सामान्य बुद्धिमत्ता	25 प्रश्न	50	60 मिनट(कुल)
अंग्रेजी भाषा (मूलभूत ज्ञान)	25 प्रश्न	50	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित तथा अस्थि विकलांग जिसमें लिखने वाले हाथ में विकृति हो(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 12(ग) तथा (घ) देखें) के लिए 80 मिनट
संख्यात्मक अभिरूचि (मूलभूत अंकगणितीय कौशल)	25 प्रश्न	50	
सामान्य जानकारी	25 प्रश्न	50	

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी।

परीक्षा के पश्चात् उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने टेस्ट फॉर्म के मुताबिक उत्तर कुंजी को देख सकते हैं तथा प्रति उत्तर के लिए 100/-रु. का भुगतान कर उत्तर कुंजी अपलोड करने के बाद तीन(3) दिन के भीतर ऑनलाइन रूप रेखा में अभ्यावेदन यदि कुछ हो तो जमा रक सकते हैं। उत्तर कुंजी को अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- (क) जहाँ अनिवार्य योग्यता में कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा इत्यादि विहित हैं, वहां ये आयोजित की जाएगी जो अर्हक स्वरूप की होंगी।
- (ख) अंतिम योग्यता सूची कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में निष्पादन के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ग) बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

जहां दो अथवा अधिक अभ्यर्थी कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा टाई मामलों का निपटान किया जाएगा:

- i) जन्म तिथि को देखकर अर्थात् आधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- ii) अभ्यर्थी के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: चयन पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा चयनित शहरों/केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए संस्तुति

- i. आयोग को अभ्यर्थी की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/भूतपूर्व सैनिक/ सामान्य (अना) की प्रत्येक श्रेणी के लिए, जहाँ भी लागू हो कम्प्यूटर आधारित मोड बहुविकल्प परीक्षा/कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
 - ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहाँ भी लागू हो आयोग कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग ने कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्यधीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जितने अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।
 - iii. अजा.अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई है तो उसे योग्यता सूची में कम स्थिति वाले पात्र अजा. अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।
 - iv. शा.दि(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शॉर्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
 - v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग व्यक्ति) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
 - vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि. अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।
 - vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।
17. नौकरी के अवसरों में बेरोजगारों की अधिक सुलभता की सरकारी पहल के अनुसरण में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उन गैर-चयनित अभ्यर्थियों का विवरण अपलोड करेंगे, जो अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों सहित अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंकों को प्राप्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसी, यदि वे चाहे तो अपने संगठन में पदों की भर्ती के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में

विकल्प चुनना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा, जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

18. जिस व्यक्ति ने:

- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कर्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

20. दुर्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

- (i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या किसी प्रकार से हेरफेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए न ही उन्हें हेर फेर किए गए /जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई गलती अथवा विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ii) निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/3वर्ष तक वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :
 - (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो।
 - (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
 - (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
 - (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।
 - (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो।
 - (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो।
 - (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है।
 - (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो।

- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।
- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
- (xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

21. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

22. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान जहाँ कर्मचारी चयन आयोग का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है अर्थात् कोलकाता का न्यायालय/न्यायाधिकरण ।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
1.	परिशिष्ट-I(क)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश	
2.	परिशिष्ट-I।	अ.जा/अ.ज.जा.	i जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। ii मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट iii कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी iv उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3.	परिशिष्ट-III	अपिव	i जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए) ii मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट iii कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी iv उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी: आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के अपिव दर्जे की गणना तिथि के रूप में ली जाएगी और यह समझने के लिए भी कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है ।
4.	परिशिष्ट-IV	साजीसीई	कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान
5.	परिशिष्ट- IV (ए)	ईए/सीजीसीई	स्वयं आवेदक
6.	परिशिष्ट-V	भूपूसै	कमान अफसर
7.	परिशिष्ट-V (ए)		स्वयं आवेदक
8.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
		फार्म-III	
		फार्म-IV	

आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/ अनुदेश

1. चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को <http://ssconline.nic.in> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी चयन पद के लिए आवेदन कर सकता है।
2. अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> पर पूरे वर्ष उपलब्ध है।
3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म/आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> के पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
4. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना चाहिए।
5. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फॉर्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।
7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें।
8. यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो चयन पदों के आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।
9. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ऑपलोड करने होंगे।
10. फोटोग्राफ के फाइल का डिजिटल आकार 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई का तथा 120 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
11. हस्ताक्षर जेपीजे फॉर्मेट में ऑपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजाल्यूशन 40 पिक्सल चौड़ाई का तथा 60 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
12. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऑपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
13. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
14. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में लॉगइन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।

15. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों की सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
16. ऑनलाइन आवेदन (सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 08.05.2017 से 07.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वह 09.06.2017 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक 07.06.2017 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो। चालान निकालने की सुविधा केवल दिनांक 07.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
17. आवेदन भाग में भुगतान का ब्यौरा भरना भी अपेक्षित है।
18. भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन भाग के पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन निकाले गए चालान का प्रिंट लेना चाहिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के देय शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना चाहिए। उसके बाद प्रणाली में अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड सहित लॉगईन करें तथा निर्धारित तिथि और समय के भीतर विवरण जमा करें।
19. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी पररिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
20. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....

पुत्र/पुत्री..... निवासी ग्राम/कस्बा*

..... जिला/संभाग*..... राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र*..... के जाति/जनजाति से संबंधित है जो

निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,
1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश,
1951*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र
आदेश, 1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 @

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 @

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....के माता/पिता

श्री/श्रीमती.....निवासी

ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य

/संघ राज्य क्षेत्र*.....को जारी किए गए

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ...

.....जाति/जनजाति से संबंधित है

जो..... दिनांकद्वारा
जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....
सहित)

(कार्यालय की मुहर

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी
कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक
आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता
है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय
अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री ग्राम

जिला/संभागराज्य

..... समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या.....दिनांक.....* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

श्री/श्रीमती/कु..... तथा/या उनका परिवार सामान्यतः.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

कार्यालय का मुहर:

जिलाधीश या उपायुक्त आदि।

*-जो प्राधिकारी ये प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के उस संकल्प संख्या का विवरण देना होगा जिसमें अभ्यर्थी की अपिब जाति उल्लेखित है ।

** - समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :- यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

आयु में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र(संगठन का पत्र शीर्ष)

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12(ज) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक---
----- को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम एवं पदनाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12(ज) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ :-----

नियुक्ति की तिथि :_____

वर्तमान पद तथा वेतनमान :_____

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित नियोक्ता का नाम व पता :_____

स्थान तथा दिनांक:

*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(संगठन के पत्र शीर्ष पर)
(कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ड) तथा (च) को देखें)

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....
.....(दिनांक).....को सशस्त्र
सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ड) तथा (च) को देखें)

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसे (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसे को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसे के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसे के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूँगा/ हूँगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ:

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि__
- ख) कार्यमुक्त की तिथि__
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि__
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर__
- ड.) पुनः नियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई__

(अभ्यर्थी के पूरे हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं नेत्रहीनता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्रसंख्या.....
दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म
तिथि -----आयु..... (दि./म./व.) -----पुरुष/महिला-----
पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान
नं.....वार्ड/ गांव/
गली.....डाकघर.....जिला.....

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

राज्य..... जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में
.....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास
मकान नं..... वार्ड/गांव/गली.....
डाकघर.....जिला.....राज्य.....जिनका ऊपर
फोटो चिपकाया गया है की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है। निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू न हो

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा।

तारीख

माह

वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----

-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि -----आयु.....
(दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता है। निःशक्तता के लिए (ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें) (# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें)(£ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा।

तारीख माह वर्ष

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें) (# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें)(£ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/दोनों कान)

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर